...खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

तारीख रजू 29.4.09

जगदीश बनाम धर्मेन्द्र वगैरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आज यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थीगण की ओर से श्री हितेश कुमार शर्मा वकील ने मूल वाद के साथ पेश की। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2062–65 की छायाप्रति पेश की तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश पर एकपक्षीय सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व नकल दस्तावेज की छायाप्रति एवं वकील प्रार्थीगण की बहस के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का बनना प्रतीत होता है।	
अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक : 20/05/2009 तक पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा संख्या 1196 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में से रूकावट व मजाहमत पैदा नहीं करें तथा रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।	
अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि उक्त आदेश की पालना में यदि कोई उज्र हो तो दिनांक : 20/05/2009 को पेश करें, क्यों न उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक : 20/05/2009 को पेश हो।	
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.	
20/5/09 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी तामील नहीं आयी। पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी दिनांक 23/6/09 को पेश हो। तथा स्थगनादेश की अवधि दिनांक 23/6/09 तक बढ़ाई जाती है।	
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.	
23/6/09 बकुलाह फेरीकेन (P.O.) साहब ... हैं। पत्रावली दिनांक 22/7/09 को पेश हो।	
पेशी	
22/7/09 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 8, 9 तामील तामील होने के उपरान्त नहीं है। उनके विरुद्ध कार्यवाही एक पक्षीय ... जारी की। अप्रार्थीगण की तामील नहीं हुई पत्रावली ... दिनांक 4/9/09 को पेश हो।	
उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अहका की ता
7/5/21	मुकदमा चैकिन एप०/P.O. नाम .... पत्रावली दिनांक 9/11/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9/11/21	पत्रावली 19/21 कम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान् .... उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 8/3/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8/3/22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आया। अतः वकील प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थना-पत्र [illegible] वकील व उनके प्रार्थी की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली मौजल [illegible] होकर नम्बर से कम हो [illegible] मूल [illegible] के [illegible] [illegible] रहे [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	